हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
नया रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय परिसर स्थित भवनों की साफ–सफाई कार्य हेतु निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र

रायपुर, दिनांक 26.05.2017

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथिः 27.06.2017 सायं 5.00 बजे तक

पूरित किये गये प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथिः 28.06.2017 सायं 5.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथिः 29.06.2017 प्रातः 11.00 बजे
स्थान – विश्वविद्यालय सभाकक्ष, नया रायपुर

टेंडर फार्म मूल्य – रु.5000/–

(कुल पन्ने की संख्या – 17 पृष्ठ)

नोटः– निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पन्ने पर अपने हस्ताक्षर करें।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर

पूर्व योग्यता जाँच सूची

क्रं.	विवरण	हाँ	नहीं	पृ.क्र.
1.	निविदाकार का पेन नंबर			
2.	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाण–पत्र एवं वैधता तिथि			
3.	सालवेन्सी प्रमाण–पत्र (न्यूनतम रु. 20 लाख)			
4.	सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन एवं वैधता तिथि			
5.	भविष्य निधि प्रमाण–पत्र कोड सहित			
6.	उचित श्रेणी में पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं वैधता तिथि			
7.	अनुभव प्रमाण–पत्र / परफार्मेंस सर्टिफिकेट			
8.	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम (कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)			
9.	एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षो में न्यूनतम 60 लाख रुपये रहने का सी.ए. से प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय पत्रक			
10.	आयकर निर्धारण पत्रक (विगत तीन वर्षों का)			
11.	वर्कमेन कम्पनसेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति			
12.	अमानत हेतु निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न किया जाये।			
13.	तकनीकी निविदा			
14.	वित्तीय निविदा			

विश्वविद्यालय परिसर में साफ–सफाई कार्य हेतु स्थल

कार्य विवरण – हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नया रायपुर स्थित परिसर के विभिन्न भवनों एवं खुले प्रांगण की प्रतिदिन साफ–सफाई व्यवस्था/कार्य।

विश्वविद्यालय के भवनों एवं स्थलों का विवरण –

(1) मुख्य प्रशासनिक व अकादमिक भवन –
जो दो मंजिला बना हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कार्यालय, सभाकक्ष, क्लास रूम्स, कम्प्यूटर कक्ष, लायब्रेरी व अन्य कक्ष, खुली लॉबी, सीढ़ियॉ एवं समस्त शौचालय शामिल हैं, की प्रत्येक दिन साफ–सफाई शामिल है।

(2) विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्र–छात्राओं के संपूर्ण छात्रावास भवनों की साफ–सफाई (जिसमें विभिन्न कमरों में निवासरत् छात्र/छात्राओं के प्रत्येक कमरे की साफ–सफाई सम्मिलित है) छात्रावास स्थित समस्त शौचालय, सीढ़ियाँ लॉबी आदि की प्रत्येक दिन साफ–सफाई शामिल है।

(3) माननीय कुलपति महोदय निवास तथा विश्वविद्यालय परिसर में स्थित अधिकारियों यथा कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अधिकारियों के आवासीय भवनों की साफ–सफाई जिसमें समस्त कमरे, रसोईघर, शौचालय, सीढ़ियाँ लॉबी आदि की प्रत्येक दिन साफ–सफाई शामिल है।

(4) विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित/नव–निर्मित समस्त भवनों की प्रतिदिन साफ–सफाई।

(5) विश्वविद्यालय परिसर स्थित अन्य आवासीय भवनों की साफ–सफाई जिसमें समस्त कमरे, रसोईघर, शौचालय, सीढ़ियाँ लॉबी आदि की प्रत्येक दिन साफ–सफाई युक्तियुक्त शुल्क के आधार पर जिसका निर्धारण विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा।

(6) विश्वविद्यालय परिसर स्थित खुले स्थान की साफ–सफाई, पन्नियों, कागजों, अनावश्यक वस्तुओं, कचरे इत्यादि को एकत्रकर एवं परिसर से बाहर अन्यत्र ले जाने की जिम्मेदारी साफ–सफाई एजेंसी की होगी।

(7) विश्वविद्यालय के परिसर में सीवर चेम्बर/नालियों तथा समस्त भवनों में पानी निकासी की व्यवस्था एवं पानी टंकियों इत्यादि की नियमित रूप से साफ–सफाई का पूर्ण दायित्व साफ–सफाई एजेंसी का होगा।

(8) विश्वविद्यालय परिसर में स्थित समस्त रिहायशी क्षेत्र की बाह्य साफ–सफाई की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व साफ–सफाई एजेंसी का होगा।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर

साफ–सफाई कार्य का विवरण

साफ–सफाई कार्य में निम्न कार्य प्रत्येक दिवस करना होगा –

(1) झाड़ू–पोंछा (फिनायल सहित) प्रत्येक दिवस।

(2) शौचालयों की साफ–सफाई प्रत्येक दिन में दो बार जिसमें फिनाइल, डिटर्जेंट एवं नेफ्थलीन बॉल का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/कक्षों में उपलब्ध कार्यालयीन फर्नीचर टेबिल, कुर्सी, आलमारी, कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन, फाइलिंग कैबिनेट एवं दरवाजों/खिड़कियों पर प्रत्येक दिवस सूखे कपड़े या आवश्यक होने पर गीले कपड़े से धूल झाड़ना एवं सफाई करना।

(4) विश्वविद्यालय के समस्त भवनों में मकड़ी के जाले आदि नियमित अंतराल पर हटाना

(5) विश्वविद्यालय परिसर स्थित बगीचों की साफ–सफाई।

(6) विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभी सीवर लाईन, मेन होल चेम्बर्स, भवनों के गली–ट्रैप चेम्बर्स एवं सीवर लाईन एवं सर्फेस ड्रेन की नियमित अंतराल पर सफाई।

(9) विश्वविद्यालय परिसर में स्थित भवनों की छतों की नियमित अंतराल पर सफाई।

विशेष– साफ–सफाई ठेकेदार निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व नया रायपुर स्थित विश्वविद्यालय के भवन/परिसर का अवलोकन कर कार्य की मात्रा, प्रकार एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें जिससे भविष्य में कार्य करने में किसी प्रकार की परेशानी न आये एवं विवाद की स्थिति न बने।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, नया रायपुर
साफ–सफाई व्यवस्था हेतु ठेके के नियम व शर्ते

1. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित समस्त कार्यालयीन भवन, छात्रावासों एवं प्रांगण की साफ–सफाई का कार्य जिसमें प्रत्येक दिवस झाड़ू, पोंछा लगाना तथा साफ–सफाई करना शामिल है।

2. विश्वविद्यालय परिसर स्थित समस्त शौचालयों को प्रतिदिन दो बार एवं आवश्यकता पड़ने पर पुनः फिनाईल एसिड से साफ–सफाई करना एवं नैफथैलीन की गोलियाँ डालना होगा।

3. साफ–सफाई हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी एवं इन सामग्रियों को विश्वविद्यालय स्थित अपने कक्ष में अग्रिम रूप से रखना होगा। इस हेतु एक माह की साफ–सफाई के लिए आवश्यक सामाग्री अग्रिम रूप ठेकेदार को कार्यालय में जमा करना होगा।

4. साफ–सफाई ठेकेदार को विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गये समय पर साफ–सफाई की व्यवस्था करनी होगी। कार्यालय या छात्रों की कक्षा शुरू होने के पूर्व साफ–सफाई करना होगा।

5. विश्वविद्यालय परिसर की साफ–सफाई व्यवस्था हेतु 35 से 45 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

6. साफ–सफाई ठेकेदार को उक्त ठेके को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

7. विश्वविद्यालय प्रबंधन का यह अधिकार होगा कि परिस्थितियों के अनुरूप अन्य कोई शर्त अधिरोपित करें जिसे मानने के लिए साफ–सफाई ठेकेदार बाध्य होगा।

8. किसी भी ठेके को स्वीकार करना या अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रबंधन को होगा।

9. साफ–सफाई ठेके हेतु न्यूनतम राशि की बोली होने के बाद भी यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा पाया जाता है कि आवेदनकर्त्ता को पर्याप्त अनुभव नहीं है तो उस दशा में अन्य निविदाकर्त्ता को ठेका आवंटित किया जावेगा।

10. साफ–सफाई एजेंसी के कर्मचारियों की असावधानी से हुई टूट–फूट/क्षति के लिये एजेंसी जिम्मेदार होगी एवं क्षतिराशि की प्रतिपूर्ति एजेंसी के आगामी देयकों से की जा सकेगी।

11. सेवा में त्रुटि/कमी होने पर या अन्य शर्तो के उल्लंघन होने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को स्व–विवेक से शास्ति अधिरोपित करने अथवा किसी भी समय बिना कारण बताए ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छ.ग.)

साफ–सफाई कार्य

निविदा की शर्ते

1. इच्छुक एवं पात्र निविदाकारों से **द्वि–निविदा पद्धति (पृथक–पृथक तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पद्धति)** से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफों में मुहरबंद कर एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। लिफाफों के उपर स्पष्ट रूप से **तकनीकी निविदा** एवं **वित्तीय निविदा** एवं **निविदाकार का नाम** अंकित किया जाना अनिवार्य है। बाहरी लिफाफे पर ''**हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2017–18 में साफ–सफाई कार्य**'' अंकित किया जाना अनिवार्य है। इस पद्धति का अनुपालन नहीं करने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

2. निर्धारित पद्धति का अनुपालन कर जमा की गई निविदाओं को नियत तिथि, समय एवं स्थान पर खोला जाएगा। सर्वप्रथम बड़ा लिफाफा खोलकर विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जाएगा। केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी निविदाएं निविदा शर्तों के अनुकूल योग्य पाई गई हों।

3. निविदा की दर न्यूनतम होने पर ही ठेका मंजूर किया जाना आवश्यक नहीं होगा। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

4. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। डाक में होने वाले विलंब के लिए विश्वविद्यालय जवाबदेह नहीं होगा।

5. केवल उसी एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जाएगी, जो निम्नानुसार पात्रता रखते हो:–
   - अ. जिसने शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थाओं, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में न्यूनतम 03 वर्ष का साफ–सफाई संबंधी कार्य किया हो, समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।
   - ब. जिस एजेंसी के पास ऐसे कम से कम दो ठेके वर्तमान में संचालित हों, जिसका कुल पारिश्रमिक रू.15 लाख प्रतिवर्ष से कम न हो। (इसके समर्थन में एजेंसी को वर्क आर्डर/अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)।
   - स. एजेंसी के वार्षिक टर्न ओवर (पिछले 03 वर्षों में न्यूनतम 60 लाख रूपये प्रतिवर्ष रहा हो, का (सी.ए. से प्रमाणित/अंकेक्षित) वित्तीय पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है।

6. अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण जो कि विश्वविद्यालय द्वारा चाहा गया है, संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

7. निविदाएँ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर खोली जाएंगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि, लिखित प्राधिकार होने पर उपस्थित हो सकता है।

8. विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसी निविदा जो सशर्त प्रस्तुत की गई है स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।

9. ऐसे निविदाकर्ता जो कि निविदा में विश्वविद्यालय की निर्धारित शर्तो को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, उनसे निगोसियेशन कर दरें एवं अन्य शर्तें निर्धारित करने का विश्वविद्यालय का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निगोसियेशन की तारीख विश्वविद्यालय की सुविधानुसार तय कर टेलीफोन द्वारा या लिखित सूचना द्वारा दी जाएगी।

10. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा साफ–सफाई ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत की राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

11. निविदाकार को एक शिकायत पंजी तथा साप्ताहिक कार्य निष्पादन पंजी रखनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर निविदाकार के देयकों के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

12. साफ–सफाई ठेका सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि को आवश्यकतानुसार संतोषजनक वार्षिक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर बढ़ा सके। यह अवधि हर बार एक वर्ष के लिए किन्तु अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। इस ठेके के दौरान निविदाकार द्वारा अपनी निविदा में अंकित दर के आधार पर उनके देयकों का यथोचित कटौतियों के पश्चात् भुगतान किया जाएगा। ठेके के दौरान यदि स्थानीय/जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जो दैनिक/मासिक वेतन की दरें लागू/अधिसूचित की जाती हैं एवं निविदाकार द्वारा इस आशय से पुनरीक्षित दरों के आधार पर देयकों के भुगतान हेतु आवेदन करता है तो निविदाकार के देयकों का तदनुसार यथोचित कटौतियों के पश्चात् भुगतान किया जाएगा।

13. ठेकेदार को साफ–सफाई का एक दैनिक शिकायत पंजी तथा साप्ताहिक कार्य निष्पादन पंजी रखना आवश्यक होगा। ठेकेदार के साफ–सफाई कर्मचारियों को जहां वे साफ–सफाई का कार्य करते हैं, प्रत्येक दिवस इस आशय का सत्यापन हस्ताक्षर के रूप में संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त करेंगे कि उन्होंने संतोषजनक रूप से साफ–सफाई का कार्य किया है।

14. ठेके की कालावधि के दौरान ठेकेदार की लापरवाही/चूक/त्रुटि या अन्यथा कारण से विश्वविद्यालय को हुई हानि या अधिरोपित जुर्माने की राशि को प्रतिभूति राशि में से समायोजित किया जा सकेगा। ठेका समाप्त होने पर संबंधित शाखा से अनापत्ति प्रमाण

पत्र प्राप्त होने पर प्रतिभूति राशि लौटाई जाएगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

15. निविदा के साथ अमानत की राशि रूपए 3,00,000/– (रूपए तीन लाख) मात्र जमा करना अनिवार्य है। अमानत राशि कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी।

16. सफल निविदाकार को रु.5,00,000.00 (रुपये पॉच लाख मात्र) की प्रतिभूति राशि कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के नाम देय डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करना होगा। सफल निविदाकार की अमानत राशि रु.3,00,000/– (रु. तीन लाख मात्र) प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी।

17. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएँ विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती हैं, उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एवं एक माह के अंदर लौटाई जा सकेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

18. निविदाकर्ता का नियोक्ता के रूप में भविष्य निधि का स्वयं का कोड होना आवश्यक है।

19. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में दर्शित दरें राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिए।

20. निविदाकर्ता को निविदा के साथ संलग्न पेन नंबर या आयकर निर्धारण प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

21. निविदाकार निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से उपरवारा स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर का अवलोकन कर लें, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति व मात्रा एवं वृहदता की जानकारी हो सके।

22. पिछले वित्तीय वर्ष के दरम्यान ई.पी.एफ. एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन में जमा किये गये चालानों की प्रतियाँ फार्म 3ए, 6ए सहित निविदाकर्ता को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

23. लेबर लायसेंस प्रमाण–पत्र वैधता तिथि के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

24. फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र वैधता तिथि के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

25. आकस्मिक दुर्घटना/धन–जन हानि/अन्य आपदा इत्यादि की स्थिति में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निविदाकर्ताओं/ठेकेदारों को समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा।

26. सफल निविदाकार को कार्य आवंटन की रूपरेखा दर्शित करने वाली सारणियाँ तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। समस्त साफ–सफाई कर्मचारियों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराते हुए, चरित्र इत्यादि का सत्यापन निविदाकार को करना होगा।

27. कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाए जाएंगे। यह निविदाकार की जवाबदेही होगी।

28. आवश्यकता होने पर ठेकेदार को अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी जिसका भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

29. विश्वविद्यालय में छुट्टियों के दिनों में सफाई ठेकेदार तब तक अपने कर्मचारियों को कार्य पर नहीं लगाएगा जब तक कि इस आशय का लिखित आदेश उसे प्रदान न किया जाए।

30. सफाई कर्मियों की प्रतिदिन प्रत्येक शिफ्ट में शत–प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। यदि किसी शिफ्ट में कोई अनुपस्थित होता है तो साफ–सफाई एजेंसी को तत्काल वैकल्पिक सफाई कर्मी की व्यवस्था करना आवश्यक है । साफ–सफाई एजेंसी द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में अथवा संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं पाए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वविवेक से साफ–सफाई एजेंसी पर पेनाल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर आपातकाल में अतिरिक्त कर्मचारियों की पूर्ति तत्काल निविदाकार के द्वारा करना अनिवार्य होगा।

31. विश्वविद्यालय प्रबंधन, साफ–सफाई ठेकेदार को देयकों का भुगतान मासिक आधार पर करेगा। द्वितीय माह से देयक के साथ पिछले माह के ई.पी.एफ. इलेक्ट्रानिक चालान कम रसीद की प्रमाणित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगा जिसमें समेकित विवरण के साथ ही प्रत्येक कर्मचारी के खाते में जमा किये गये अंशदान कटौती का विवरण (इलेक्ट्रानिक चालान) संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा देयक भुगतान हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

32. आयकर अधिनियम तथा आयकर विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक भुगतान पर आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी । इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय विभागों के अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत निर्धारित कटौतियां भी देयकों से की जाएंगी।

33. केन्द्र/राज्य शासन द्वारा 01 जुलाई 2017 से गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) संपूर्ण भारत वर्ष में लागू किया जाना प्रस्तावित है एवं यदि शासन की अधिसूचना अनुसार यदि इस सेवा पर भी जी.एस.टी. लागू होता है तो निविदाकार/ठेकेदार जी.एस.टी. में तत्काल अपना पंजीयन करवाएगा एवं जी.एस.टी. पंजीयन से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं समय–समय पर जी.एस.टी. अदा करने संबंधी आवश्यक दस्तावेजों/रिटर्न्स/चालानों की प्रतियां विश्वविद्यालय को अभिलेखों हेतु जमा करने के लिए बाध्य होगा।

34. निविदा पूर्णतः भरकर तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट और आवश्यक दस्तावेज (स्वयं के द्वारा सत्यापित) संलग्न कर सभी को एक लिफाफे में रखकर सीलबंद कर रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीडपोस्ट से प्रेषित किया जाए ताकि निविदा प्राप्त होने की अंतिम तारीख एवं समय तक आवश्यक रूप से कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उपरवारा, अभनपुर, रायपुर को प्राप्त हो जाए। निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यक्तिगत

रूप से सीधे विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है। लिफाफे के ऊपर ''**साफ–सफाई कार्य 2017–18 हेतु निविदा**'' **अंकित किया जाए।**

35. साफ–सफाई ठेके की विशेष शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लेखित हैं जिनका अनुपालन निविदाकार को करना अनिवार्य है।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

साफ–सफाई ठेके की विशेष शर्ते

01. प्रतिष्ठित संस्थान/सहकारी संस्थान एवं साफ–सफाई एजेंसियों को अन्य शर्तें पूर्ण होने पर प्राथमिकता दी जावेगी।

02. साफ–सफाई ठेका सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि ठेके की अवधि को आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर बढ़ा सके। यह अवधि हर बार एक वर्ष के लिए किन्तु अधिकतम तीन वर्ष तक इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तो के आधार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

03. साफ–सफाई एजेंसी कर्मचारियों को वर्दी, जूते, रेनकोट/प्रोटेक्टिव गारमेंट इत्यादि उपलब्ध कराएगी एवं परिचय–पत्र भी उपलब्ध कराएगी, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो।

04. साफ–सफाई एजेंसी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्शाने वाली पंजी रखी जाएगी जो कि विश्वविद्यालय या उसके प्रतिनिधि को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत की जाएगी।

05. साफ–सफाई एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर रखी गई /स्थित सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। यदि ऐसी कोई सामग्री असुरक्षित रूप से बाहर रखी हुई दिखाई देती है तो एजेंसी द्वारा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय प्रबंधन को अविलंब दी जावेगी।

06. साफ–सफाई एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय कार्यालय एवं परिसर में शांति बनाये रखे एवं अपने कर्मचारियों अथवा अन्य तत्वों के झगड़े इत्यादि को रोके।

07. आवश्यकता पड़ने पर साफ–सफाई एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मियों को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान कर, प्रबंधन के प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ देयक पांच तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। देयक के साथ एजेंसी द्वारा भुगतान किये गये वेतन–पत्रक की छायाप्रति, सत्यापित उपस्थिति पत्र तथा गत माह कर्मियों के भुगतान से काटी गई भविष्य निधि राशि को शासकीय कोष में जमा करने वाले चालान की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा एजेंसी का देयक अपूर्ण माना जावेगा एवं उसके आधार पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन भुगतान करने की अथवा किसी कर्मचारी को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कर्मी को ठेकेदार की ओर से सीधे भुगतान कर दिया जाएगा एवं एजेंसी से उक्त राशि वसूल की जाएगी। इसी प्रकार श्रम कानूनों के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

08. दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त कर सकता है, परंतु साफ–सफाई एजेंसी या उस के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन/चूक करने की दशा में विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर ले। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

09. ठेके के दौरान साफ–सफाई एजेंसी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से एजेंसी में कार्य पर नहीं ले सकेगी।

10. साफ–सफाई एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा कि वह लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनो जैसे– फैक्ट्री एक्ट, श्रम संविदा अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों का अपने कर्मचारियों के लिए पालन करे यदि संबंधित अधिनियम के उल्लंघन बाबत् विश्वविद्यालय प्रबंधन को कोई नोटिस प्राप्त होती है एवं कोई दण्ड निर्धारित किया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह साफ–सफाई एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान से इस प्रकार की क्षति को समायोजित कर सके।

11. प्रतिभूति राशि एजेंसी को ठेका समाप्त होने पर संबंधित शाखा से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर, ठेके की कालावधि के दौरान एजेंसी के कार्यो/लापरवाही से विश्वविद्यालय को हुई क्षति की वसूली किये जाने के उपरांत, शेष राशि एजेंसी को लौटाई जाएगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12. साफ–सफाई एजेंसी का कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।

13. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशो का कड़ाई से पालन करने एवं साफ–सफाई व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी।

14. साफ–सफाई एजेंसी विश्वविद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार रिकार्ड रखने तथा रिपोर्ट तैयार कर प्रबंधन के समक्ष पेश करने के लिए उत्तरदायी होगी।

15. साफ–सफाई एजेंसी को श्रम संविदा अधिनियम 1970 के अंतर्गत श्रम विभाग से लायसेंस प्राप्त कर विश्वविद्यालय प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा।

16. विश्वविद्यालय प्रबंधन को अनुबंध की शर्तो को संशोधित करने, निरस्त करने एवं नई शर्तो को जोड़ने का अधिकार होगा। इसके लिए बिना कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना साफ–सफाई एजेंसी को दी जावेगी।

17. साफ–सफाई एजेंसी को अपने कर्मचारियों के लिए नियमानुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेंसी को स्वयं ही रखना होगा जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।

18. विश्वविद्यालय के परिसर में धुम्रपान/मदिरापान/किसी भी प्रकार का नशा करना या ड्यूटी के दौरान नशे में होना या किसी प्रकार की नशीली सामग्री परिसर के भीतर लाना या प्राप्त करना या प्रदान करना पूर्णतः वर्जित है। यदि कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रबंधन को स्वविवेक से साफ–सफाई एजेंसी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

19. साफ–सफाई एजेंसी अपने कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई कटौती अंशदान नियमानुसार जमा करने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका संपूर्ण अधिकार एवं रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड विश्वविद्यालय प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

20. विश्वविद्यालय परिसर में कोई घटना, संदेहास्पद कार्य/घटना या कोई ऐसी बात/चूक जिससे विश्वविद्यालय की सपंत्ति, कर्मचारियों, छात्रों व अन्य को कोई नुकसान/क्षति हो सकती हो यदि साफ–सफाई एजेंसी की जानकारी में आती है तो इसकी सूचना अविलंब विश्वविद्यालय प्रशासन को देनी होगी।

21. यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं साफ–सफाई एजेंसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिया गया निर्णय साफ–सफाई एजेंसी एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

कुलसचिव
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छ.ग.)
साफ–सफाई कार्य

तकनीकी निविदा
शैक्षणिक सत्र 2017–18

प्रति,

कुलसचिव
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर के ग्राम उपरवारा स्थित परिसर में स्थित भवनों एवं प्रांगण की साफ–सफाई करने हेतु बुलाई गई निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इस निविदा के संदर्भ में मेरा आवेदन प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा इस निविदा प्रपत्र में तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित ठेके की समस्त शर्तो का पालन करते हुए कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रु. 3,00,000/– (रु. तीन लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... जो .... बैंक का है तथा, कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को देय है, संलग्न कर रहा हूँ। साथ ही, दर–अनुसूची (प्रपत्र–दो) भी अन्य दस्तावेजों सहित संलग्न कर रहा हूँ।

मुझे वर्तमान में संबंधित क्षेत्र एवं कार्य का निम्नानुसार अनुभव है :–

01. नाम व पता तथा टेलीफोन नंबर सहित : ....
....
....

02. यदि कोई पार्टनर हो, तो उसका नाम एवं पता यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की जाये। यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है तो भागिता–पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये। : ....
....
....
....
....
....

03. पूर्व कार्यो के अनुभव का विवरण : ....

संबंधित संस्थान के नाम–पते एवं		....
परफॉरमेन्स रिपोर्ट सहित देवें		....
(अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)		
04. वर्तमान में कितने कर्मचारी आपकी ठेकेदारी में कार्यरत हैं।	:	(1) साफ–सफाई कार्य हेतु ....
05. वर्तमान में जहाँ कार्य चल रहा हो,	:	....
उस संस्थान का नाम व पता (समर्थन में		....
पत्र / आदेश की प्रति संलग्न की जावे)		....
06. जीवित लेबर लायसेंस का विवरण	:	....
(लायसेंस के प्रमाण –पत्र की छायाप्रति		....
संलग्न की जावे)		....
07. भविष्य निधि कोड नं. एवं वर्क्समेन	:	....
कम्पनसेशन पॉलिसी की प्रति (प्रमाण–		....
पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)		....
08. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट	:	....
(प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)।		....
09. साल्वेन्सी सर्टीफिकेट (न्यूनतम बीस लाख रु.)	:	....
प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)।		....
10. पेन नम्बर प्रमाण–पत्र	:	....

योग्यता जाँच सूची

क्रं.	विवरण	हाँ	नहीं	पृ.क्र.
1.	निविदाकार का पेन नंबर			
2.	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाण–पत्र एवं वैधता तिथि			
3.	सालवेन्सी प्रमाण–पत्र (न्यूनतम रु. 20 लाख)			
4.	सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन एवं वैधता तिथि			
5.	भविष्य निधि प्रमाण–पत्र कोड सहित			
6.	उचित श्रेणी में पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं वैधता तिथि			
7.	अनुभव प्रमाण–पत्र / परफार्मेंस सर्टिफिकेट			
8.	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम (कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)			
9.	एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षो में			

क्रं.	विवरण	हाँ	नहीं	पृ.क्र.
	न्यूनतम 60 लाख रुपये रहने का सी.ए. से प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय पत्रक			
10.	आयकर निर्धारण पत्रक (विगत तीन वर्षों का)			
11.	वर्कमेन कम्पनसेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति			
12.	अमानत हेतु निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव/रजिस्ट्रार, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न किया जाये।			

दिनांक .... हस्ताक्षर ....

स्थान .... पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

टीपः—

1. अभिलेखों की छायाप्रतियों को निविदाकार के द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। स्वयं सत्यापन के हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना पूर्ण नाम एवं तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर
साफ–सफाई कार्य हेतु निविदा

वित्तीय निविदा

शैक्षणिक सत्र 2017–18

निविदाकार को इस वित्तीय निविदा में उल्लेखित सभी आयटमों हेतु दर उल्लेखित करना अनिवार्य है (अंकों एवं शब्दों में उल्लेखित करना)। इसका अनुपालन नहीं करने पर निविदा को अधूरा मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा। अंकों एवं शब्दों में दी गई दरों में अंतर पाए जाने पर शब्दों में दी गई दर के आधार पर निविदा का परीक्षण किया जाएगा।

01. मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तावित हैं:–

क्रं.	साफ–सफाई कर्मियों का पदनाम	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (अंको में) (प्रति शिफ्ट 8 घंटे की)	दर प्रतिमाह (शब्दों में)
01.	साफ–सफाई कर्मी	i- बेसिक वेतन रू.......................... (न्यून.मज.अधि. के अनुसार) ii- ईपीएफ रू.......................... iii- ईएसआई रू.......................... iv- अन्य रू.......................... v- साफ–सफाई एजेंसी सेवा शुल्क रू.......................... vi- कुल योग रू..........................	....
02.	सुपरवाईजर (साफ–सफाई)	i- बेसिक वेतन रू.......................... (न्यून.मज.अधि. के अनुसार) ii- ईपीएफ रू.......................... iii- ईएसआई रू.......................... iv- अन्य रू.......................... v- साफ–सफाई एजेंसी सेवा शुल्क रू.......................... vi- कुल योग रू..........................	....

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने निविदा प्रपत्र में वर्णित क्रमशः निविदा की सभी शर्तों को पढ़कर/पढ़ाकर अच्छी तरह समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने हेतु तैयार हूं। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित दरें निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरी गयी हैं, जो समय–समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये लेबर लॉज एवं रूल्स के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाओं एवं दायित्वों के पालन सहित हैं।

निविदाकार का हस्ताक्षरः ....

फर्म का नामः ....

पताः ....

....

....

फोन नं.: ....

फर्म की सील/स्टाम्पः ....